RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
मार्च
10
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

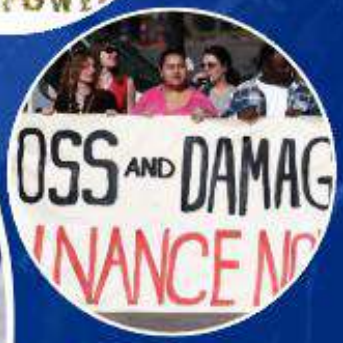

By Ankit Avasthi Sir

भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि / India-US Extradition Treaty

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने **तहव्वुर हुसैन राणा** की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का आरोपी है।

तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जुड़ी जानकारी:

1. **अर्ज़ी दाखिल:**
   - राणा ने **"आपातकालीन स्थगन आवेदन" (Emergency Application for Stay)** दायर किया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी।
2. **गिरफ्तारी:**
   - **अक्टूबर 2009 में** राणा को **शिकागो, अमेरिका** में **26/11 मुंबई हमलों में संलिप्तता** के कारण गिरफ्तार किया गया था।
3. **प्रत्यर्पण संधि:**
   - राणा का प्रत्यर्पण **भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि (India-US Extradition Treaty)** के तहत किया जाएगा, जिसे **1997 में दोनों देशों** ने हस्ताक्षरित किया था।

प्रत्यर्पण (Extradition) क्या है?

1. **परिभाषा:**
   - प्रत्यर्पण वह आधिकारिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश को सौंप दिया जाता है, जिससे उसके ऊपर कानूनी अधिकार उस देश को मिल जाता है जहाँ उसे स्थानांतरित किया जा रहा है।
2. **किन व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया जाता है?**
   - ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध का आरोपी हो या जिसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
   - प्रत्यर्पण उसी देश में किया जाता है जहाँ अपराध हुआ है या जहाँ उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना है।
3. **प्रत्यर्पण की शर्तें:** जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण किया जा रहा है, वह अपराध प्रत्यर्पण करने वाले देश के कानून में भी अपराध होना चाहिए।
4. **भारत में प्रत्यर्पण कानून:** **प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (Extradition Act, 1962)** भारत में भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को नियंत्रित करता है।
5. **भारत की प्रत्यर्पण संधियाँ:** भारत ने **यूके, अमेरिका, बांग्लादेश** सहित कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ की हैं।

भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि (1997)

1. **प्रत्यर्पण की शर्तें:**
   - यह संधि उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण की सुविधा देती है, जिनकी सजा दोनों देशों में **एक वर्ष से अधिक** की कैद है।
   - **आतंकवाद, विमान अपहरण (Hijacking), और संरक्षित व्यक्तियों (Protected Persons) के खिलाफ अपराध** प्रत्यर्पण योग्य अपराधों में शामिल हैं।
2. **राजनीतिक अपराधों पर रोक:**
   - संधि के अनुसार, **राजनीतिक अपराधों** के मामलों में प्रत्यर्पण नहीं किया जाता।
   - हालांकि, कुछ अपराधों को **राजनीतिक अपराध नहीं** माना जाता, जैसे:
     - किसी **राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख** या उनके परिवार के किसी सदस्य की हत्या या गंभीर अपराध।
     - **विमान अपहरण और उड्डयन तोड़फोड़ (Aviation Sabotage)।**
     - **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध।**
     - **बंधक बनाना (Hostage-Taking) आदि।**
3. **राणा के प्रत्यर्पण का आधार:**
   - अमेरिकी सरकार ने भारत-अमेरिका संधि के **द्वैध-अपराधिता (Dual Criminality) प्रावधान** के तहत यह पाया कि **राणा प्रत्यर्पण योग्य अपराधों में लिप्त था**, इसलिए उसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है।

संधि के तहत अब तक के प्रत्यर्पण:

- 2002-2018 के बीच कुल 11 प्रत्यर्पण हुए, जिनमें से अधिकांश वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud) से जुड़े थे।
- वर्तमान में 65 भारतीय प्रत्यर्पण अनुरोध अमेरिका में लंबित हैं।

महिला अधिकारों के उत्थान में भारत की प्रगति / India's Progress in Women's Rights Advancement

संदर्भ:

भारत ने **स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण** के क्षेत्रों में **लैंगिक समानता** की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन **लैंगिक आधारित हिंसा** जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।

- **1995 में अपनाई गई बीजिंग घोषणा और कार्यवाही रूपरेखा** आज भी **महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे व्यापक वैश्विक खाका** बनी हुई है। यह नीति महिलाओं की **समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण** को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है।

बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन:

1. **बीजिंग घोषणा (Beijing Declaration):** यह **संयुक्त राष्ट्र (UN)** द्वारा सितंबर **1995 में चौथे विश्व महिला सम्मेलन** के अंत में अपनाई गई एक **प्रस्तावना (Resolution)** थी।
    - इसका उद्देश्य **महिला और पुरुष की समानता से संबंधित सिद्धांतों** को लागू करना था।
2. **मुख्य उद्देश्य:** यह महिलाओं के सशक्तिकरण को बाधित करने वाली **12 महत्वपूर्ण चुनौतियों और कार्रवाई के क्षेत्रों** को कवर करता है।
    - इसका लक्ष्य महिलाओं की **सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक भागीदारी** को सुनिश्चित करना है।

भारत में महिलाओं के अधिकारों की दिशा में उपलब्धियां:

1. स्वास्थ्य और मातृ देखभाल में महत्वपूर्ण प्रगति:

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** और **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** जैसी सरकारी योजनाओं के कारण **संस्थागत प्रसव (Institutional Deliveries) 95% तक पहुंच गया है।**
- **मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate - MMR) 2014 में 130 से घटकर 2020 में 97 प्रति 1,00,000 जन्मों पर आ गई है।**
- **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के तहत लाखों महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं।

2. प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार:

- आधुनिक गर्भनिरोधक उपायों का उपयोग करने वाली विवाहित महिलाओं की संख्या **56.5%** तक पहुंच गई है।
- इससे महिलाओं को **परिवार नियोजन पर अधिक नियंत्रण** मिला है।

3. शिक्षा और सशक्तिकरण:

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना** के तहत **लिंगानुपात में सुधार** और **लड़कियों के स्कूल नामांकन में वृद्धि** देखी गई है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के तहत **STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने** के प्रयास किए जा रहे

4. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:

- **राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन** के तहत **10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से वित्तीय नेटवर्क से जोड़ा गया है।**
- **डिजिटल वित्तीय सेवाओं** के विस्तार, विशेष रूप से **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** के माध्यम से अधिक महिलाओं को **डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिला है।**
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान** के तहत **3.5 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल शिक्षा दी गई है।**

5. लिंग-संवेदनशील बजट:

- **2024-25 में लिंग बजट कुल बजट का 6.8% था, जो 2025-26 में बढ़कर 8.8% हो गया है।**
- महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए **$55.2 बिलियन (लगभग ₹4.5 लाख करोड़) आवंटित किए गए हैं।**

6. नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी:

- जलवायु परिवर्तन, डिजिटल उद्यमिता और शासन में **युवा महिलाएं प्रभावी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रही हैं।**
- **GATI (Gender Advancement for Transforming Institutions) प्रोजेक्ट** और **G20 TechEquity प्लेटफॉर्म** के तहत हजारों महिलाओं को **नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है।**

7. राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि:

- **महिला आरक्षण विधेयक** के तहत **33% विधायी आरक्षण** प्रदान किया गया है।
- **स्थानीय शासन में 15 लाख से अधिक महिला नेता** चुनी गई हैं, जिससे भारत में **महिला नेतृत्व का सबसे बड़ा समूह** बना है।

हानि एवं क्षति निधि से अमेरिकी की निकास / US Exit from Loss and Damage Fund

संदर्भ:

अमेरिकी राष्ट्रपति ने **संयुक्त राष्ट्र जलवायु क्षति कोष (Fund for Responding to Loss and Damage - FRLD)** से अपना समर्थन वापस ले लिया है। यह कोष जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

हानि और क्षति कोष (Loss and Damage Fund - LDF)

परिचय:

- **स्थापना: 2022 UNFCCC सम्मेलन (COP27, मिस्र)** में की गई।
- **उद्देश्य:** जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली **आर्थिक और गैर-आर्थिक क्षति** की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **प्रभावित क्षेत्र:**
  - **चरम मौसम घटनाएं** (Extreme Weather Events)
  - **धीमी गति से होने वाली प्रक्रियाएं** (Slow-Onset Processes), जैसे **समुद्र स्तर में वृद्धि।**

प्रशासनिक व्यवस्था:

- **गवर्निंग बोर्ड (Governing Board)** इस कोष के संसाधनों के वितरण का निर्णय लेता है।
- **विश्व बैंक (World Bank)** वर्तमान में **अंतरिम ट्रस्टी (Interim Trustee)** के रूप में कार्य कर रहा है।

उद्देश्य और लक्ष्य:

1. हानि और क्षति की भरपाई:

- जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को **वित्तीय सहायता** प्रदान करना।
- उदाहरण: **चक्रवात (Cyclones), जंगल की आग (Wildfires), सूखा आदि।**

2. पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सहायता: जलवायु परिवर्तन से प्रभावित **समुदायों और बुनियादी ढांचे** के पुनर्निर्माण में सहयोग।

3. गैर-आर्थिक नुकसान की भरपाई:

- **सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय** हानियों से निपटने में मदद।
- उदाहरण: विस्थापन (Displacement), जैव विविधता की हानि (Biodiversity Loss), विरासत स्थलों को नुकसान (Damage to Heritage Sites)।

4. जलवायु सहनशीलता (Climate Resilience) को बढ़ावा: जोखिम प्रबंधन रणनीतियों (Risk Management Strategies) को विकसित करने में **अतिसंवेदनशील देशों** की सहायता।

वित्त पोषण और योगदान (Funding & Contributions)

1. विकसित देशों का योगदान:

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क (UNFCCC) और पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत विकसित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपेक्षा है।

2. बहुपक्षीय और निजी क्षेत्र का योगदान:

- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी कंपनियों से भी योगदान की संभावना।

3. नवाचार वित्तपोषण तंत्र: भविष्य में नए वित्तीय साधनों को अपनाने पर विचार किया जा सकता है, जैसे:

- जीवाश्म ईंधन कंपनियों पर लेवी
- जलवायु कर (Climate Taxes)

चिंताएँ:

1. **अमेरिका का वापसी निर्णय:**
   - **अमेरिका की वापसी** से **वैश्विक जलवायु न्याय को नुकसान** पहुँचा है।
   - अमेरिका को **जलवायु क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए** और उसे उचित **क्षतिपूर्ति (reparations) देनी चाहिए।**
2. **धीमी सहायता प्रक्रिया:**
   - जलवायु कोष अक्सर **आपदा के तुरंत बाद प्रभावित समुदायों तक नहीं पहुँच पाते।**
   - **स्थानीय स्तर पर सहायता वितरण में देरी** की समस्या बनी रहती है।
   - **एलडीएफ (LDF) भी इसी चुनौती का सामना कर सकता है।**
3. **उत्सर्जन में कटौती की आवश्यकता:**
   - यदि **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती नहीं होती**, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अधिक देशों को प्रभावित करेंगे।
   - **स्थायी विकास लक्ष्यों (SDGs)** को प्राप्त करने के लिए **शमन (mitigation), अनुकूलन (adaptation), और क्षति-नुकसान (loss & damage)** हेतु अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 / Compensatory Afforestation Fund Act, 2016

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में उजागर की गई प्रति**पूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) फंड में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों** पर जवाब देने का निर्देश दिया है।

- रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वन विभाग ने वनीकरण के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया और इसे आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और कार्यालय नवीनीकरण जैसी अनधिकृत खरीदारी में खर्च किया।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016:

- यह अधिनियम वनभूमि के गैर-वन उपयोग में परिवर्तन के कारण होने वाले पारिस्थितिक और वन हानि की भरपाई करने के लिए लाया गया था।
- CAMPA फंड का उपयोग नए वनारोपण, जैव विविधता संवर्धन, वन्यजीव आवास सुधार, वनों की सुरक्षा एवं अग्नि नियंत्रण में किया जाता है।

प्रमुख प्रावधान (Key Provisions):

1. **वैकल्पिक भूमि अनिवार्यता:** कोई भी कंपनी यदि वनभूमि का गैर-वन कार्यों में उपयोग करती है, तो उसे वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करानी होगी।
   - कंपनी को उस भूमि पर नए पेड़ लगाने के लिए भुगतान भी करना होगा।

2. **धन संचयन एवं आवंटन (Fund Allocation):**

अधिनियम के तहत दो कोष बनाए गए हैं:

- **राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष (National Fund) –** इसमें कुल राशि का 10% जमा किया जाता है।
- **राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (State Fund) – इसमें 90% राशि जमा होती है।**

ये फंड निम्नलिखित मदों से प्राप्त होते हैं:

- प्रतिपूरक वनीकरण शुल्क (Compensatory Afforestation Payment)
- वन का शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value - NPV)
- परियोजना-विशेष भुगतान (Project-Specific Payments)

3. **CAMPA प्राधिकरण एवं प्रबंधन:**
   - Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) इन कोषों का प्रबंधन करती है।
   - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य CAMPA कोषों का वार्षिक ऑडिट किया जाता है।

लाभ एवं प्रभाव:

- यह अधिनियम वनों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और जल संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि गैर-वन कार्यों से वन हानि की भरपाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें।

CAMPA की महत्ता (Significance of CAMPA):

1. **सतत विकास को बढ़ावा** – आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है।
2. **वन आच्छादन में वृद्धि** – औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से नष्ट हुए वनों को पुनर्जीवित करने में सहायक।
3. **वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करता है** – जैव विविधता और प्राकृतिक आवास की सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
4. **रोजगार के अवसर प्रदान करता है** – वनीकरण और वन प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से आजीविका सृजन में सहायक।

सीमाएं और चुनौतियाँ:

1. **धन के दुरुपयोग की समस्या** – कई बार यह निधि गैर-वन कार्यों के लिए गलत तरीके से उपयोग की जाती है।
2. **धीमी कार्यान्वयन गति** – धन वितरण और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी से प्रभावशीलता कम होती है।
3. **पारदर्शिता की कमी** – अपर्याप्त निगरानी तंत्र के कारण संसाधनों के गलत आवंटन की संभावना बनी रहती है।
4. **राज्य-स्तरीय असमानताएँ** – विभिन्न राज्यों में धन उपयोग और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भिन्नताएँ देखी जाती हैं।

ईरान परमाणु समझौता / Iran Nuclear Deal

संदर्भ:

अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई** को एक पत्र भेजकर नए **परमाणु समझौते पर वार्ता** करने की पेशकश की। हालांकि, ईरान ने अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर **बातचीत फिर से शुरू करने से इनकार** कर दिया।

2015 ईरान परमाणु समझौता (Iran Nuclear Deal):

परिचय:

- यह समझौता **संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)** के नाम से जाना जाता है।
- 2013 से 2015 के बीच ईरान और **P5+1 (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका + जर्मनी)** के बीच वार्ता के बाद यह समझौता हुआ।

समझौते की शर्तें:

- **ईरान की परमाणु गतिविधियों में कटौती** – ईरान ने अपने **सेंट्रीफ्यूज, समृद्ध यूरेनियम और भारी पानी** के भंडार को काफी हद तक कम करने पर सहमति जताई।
- **IAEA की निगरानी** – अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को ईरान के परमाणु स्थलों का निरीक्षण करने की अनुमति मिली ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित न कर सके।

पश्चिमी देशों की सहमति:

- **परमाणु प्रतिबंधों में छूट** – पश्चिमी देशों ने **ईरान पर लगे परमाणु प्रसार से जुड़े प्रतिबंध हटाने** पर सहमति दी।
- **आंशिक प्रतिबंध जारी** – मानवाधिकार हनन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े प्रतिबंध यथावत रहे।
- **अमेरिका की भूमिका** – अमेरिका ने **तेल निर्यात प्रतिबंध हटाने** पर सहमति दी लेकिन **वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध जारी रखा**, जिससे ईरान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ा।

प्रभाव:

- **ईरान की अर्थव्यवस्था में सुधार** – कई वर्षों की **मंदी, मुद्रा अवमूल्यन और मुद्रास्फीति** झेलने के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था स्थिर हुई, और उसके निर्यात में वृद्धि हुई।
- **इज़राइल और सऊदी अरब की आपत्ति** – इज़राइल ने इस समझौते का कड़ा विरोध किया। सऊदी अरब ने भी असंतोष जताया क्योंकि उसे वार्ता में शामिल नहीं किया गया था।

ईरान की प्रतिबद्धताएँ (Iran's Commitments)

1. परमाणु प्रतिबंध:

- ईरान **उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम (Highly Enriched Uranium) या प्लूटोनियम** हथियार बनाने के लिए उत्पादित नहीं करेगा।
- **Fordow, Natanz, और Arak** परमाणु सुविधाओं को केवल **नागरिक उद्देश्यों (Civilian Purposes)** के लिए उपयोग करेगा।

2. सेंट्रीफ्यूज सीमाएँ:

- **सेंट्रीफ्यूज की संख्या, प्रकार और संवर्धन स्तर को सीमित किया।**
- **संवर्धित यूरेनियम के स्तर:**
  - **5% तक** – परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए।
  - **20% तक** – चिकित्सा और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए।
  - **90% तक** – परमाणु हथियार निर्माण के लिए (जिसे ईरान ने प्रतिबंधित किया)।

3. निगरानी और सत्यापन: IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) को असीमित पहुंच (Unfettered Access) की अनुमति दी गई, जिसमें अघोषित (Undeclared) परमाणु स्थलों का निरीक्षण भी शामिल है।

- **संयुक्त आयोग (Joint Commission)** इस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और विवादों को हल करता है, जिसमें IAEA को संदिग्ध स्थलों तक पहुंच देने की प्रक्रिया भी शामिल है।

चुनौतियाँ:

1. **अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास:** अतीत में हुए समझौतों के उल्लंघन के कारण कूटनीतिक प्रगति में बाधा आती है।
2. **विभिन्न हित (Diverging Interests):** अमेरिका व्यापक समझौता चाहता है, जबकि ईरान केवल JCPOA की बहाली पर केंद्रित है।
3. **घरेलू राजनीतिक बाधाएँ:** दोनों देशों में कट्टरपंथी गुट (Hardliners) समझौते के प्रति विरोधी रुख अपनाते हैं, जिससे समझौता मुश्किल हो जाता है।

अमेरिका का समझौते से बाहर होना:

- 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते से हटकर फिर से कड़े प्रतिबंध लगाए।
- बैंकिंग और तेल व्यापार पर नए प्रतिबंधों के बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से तेज कर दिया।
- परिणामस्वरूप, ईरान 2015 से पहले के अपने 97% परमाणु क्षमता स्तर पर लौट आया।

समुद्री घास / Seagrass

संदर्भ:

Nature Reviews Earth & Environment में प्रकाशित एक हालिया समीक्षा में वैश्विक स्तर पर **समुद्री घास की गिरती स्थिति** को रेखांकित किया गया है, जो मानवीय गतिविधियों के कारण **प्रति वर्ष 1-2% की दर** से घट रही है।

- इस लेख में इन आवासों को होने वाले खतरों को भी उजागर किया गया है और उनके संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए संभावित अवसरों पर प्रकाश डाला गया है।

समुद्री घास (Seagrass):

परिचय

- ये समुद्री फूलने वाले पौधे हैं, जो उथले और तटीय जल में उगते हैं।
- इन्हें "समुद्र के फेफड़े" कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।

समुद्री घास का वितरण:

- **विश्व स्तर पर**: ये सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, केवल अंटार्कटिका को छोड़कर।
- **भारत में प्रमुख स्थान**:
  - **पूर्वी तट**: मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar) और पाल्क खाड़ी (Palk Bay)।
  - **पश्चिमी तट**: कच्छ की खाड़ी (Gulf of Kachchh)।
  - **द्वीप क्षेत्र**: लक्षद्वीप (Lakshadweep) और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

समुद्री घास का महत्व:

1. कार्बन अवशोषण और जलवायु संरक्षण::

- समुद्री घास को "समुद्र के फेफड़े" कहा जाता है, क्योंकि यह वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित करती है।
- यह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में 35 गुना तेज कार्बन संग्रहित कर सकती है।

2. जैव विविधता और समुद्री जीवन संरक्षण

- समुद्री घास का मैदान कई मछलियों और समुद्री जीवों के लिए प्राकृतिक आवास (Habitat) और नर्सरी का काम करता है।
- यह संकटग्रस्त और लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करता है।

3. तटीय सुरक्षा:

- समुद्री घास प्राकृतिक अवरोध (Barrier) की तरह काम करती है, जो तूफानों और कटाव (Erosion) से तटीय समुदायों की रक्षा करती है।
- इससे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कम होता है।

4. आर्थिक महत्व:

- समुद्री घास के मैदानों का वैश्विक आर्थिक मूल्य लगभग **6.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** प्रतिवर्ष आंका गया है।
- ये मत्स्य पालन (Fisheries) और पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा देकर तटीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं।

समुद्री घास को होने वाले खतरे:

- शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट (Run-off) का समुद्र में प्रवाह
- तटीय विकास (Coastal Development) और खुदाई (Dredging)
- अनियंत्रित मत्स्य पालन (Unregulated Fishing) और नौका गतिविधियाँ (Boating Activities)
- जलवायु परिवर्तन (Climate Change)

समुद्री घास की सुरक्षा हेतु पहल:

वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयास:

- **UNEP Community Manual** – संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा समुद्री घास संरक्षण के लिए सामुदायिक मार्गदर्शिका।
- **Seagrass Watch** – यह एक सहयोगी कार्यक्रम है, जो स्वयंसेवकों और संगठनों को समुद्री घास के आवासों की निगरानी और संरक्षण में प्रशिक्षित करता है।
- **Blue Carbon Initiative** – तटीय पारिस्थितिकी तंत्र (Coastal Ecosystems) को कार्बन अवशोषण (Carbon Sequestration) और जलवायु परिवर्तन शमन (Climate Change Mitigation) के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत में समुद्री घास संरक्षण के प्रयास:

- **राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति (National Policy on Marine Fisheries)** – इसमें समुद्री घास, मैंग्रोव (Mangroves) और प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) के महत्व को रेखांकित किया गया है।
- **जलवायु सहनशीलता परियोजना (Climate Resilience Project)** – आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, विशेषकर समुद्री घास के संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए शुरू की गई, जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड (GCF) से समर्थित है।

वानुअतु का गोल्डन पासपोर्ट / Golden Passport of Vanuatu

संदर्भ:

पूर्व आईपीएल प्रमुख **ललित मोदी** ने अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और **वानुअतु (Vanuatu) की नागरिकता** प्राप्त की है, जो गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम प्रदान करता है।

वानुअतु की नागरिकता खरीदने की योजना:

वानुअतु में **नागरिकता निवेश (CBI) कार्यक्रम** या **"गोल्डन पासपोर्ट" योजना** काफी लोकप्रिय है, जो संपन्न व्यक्तियों को पैसा देकर नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा देता है।

- वानुअतु की नागरिकता प्राप्त करने की लागत **$1,35,500 से $1,55,500 (लगभग ₹1.18 करोड़ से ₹1.35 करोड़)** तक हो सकती है।
- परिवार (4 सदस्य) के लिए भी नागरिकता खरीदने का विकल्प उपलब्ध है।
- आवेदन जमा करने के बाद **30-60 दिनों** में प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

गोल्डन पासपोर्ट (Golden Passport)

गोल्डन पासपोर्ट एक ऐसी सेवा है, जो कुछ देशों द्वारा **नागरिकता-निवेश (Citizenship-by-Investment - CBI) कार्यक्रम** के तहत दी जाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति महत्वपूर्ण निवेश या संपत्ति खरीद कर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- **निवेशक नागरिकता कार्यक्रम:** विदेशी नागरिक निवेश के माध्यम से नया राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकते हैं।
- **अलग-अलग देशों की अलग-अलग शर्तें होती हैं।** कुछ देश न्यूनतम निवेश पर निवास अधिकार देते हैं, जबकि अन्य देशों में उच्च निवेश की आवश्यकता होती है।
- निवेश की राशि देश के अनुसार अलग-अलग होती है।
- अमीर व्यक्तियों को व्यापार के नए अवसर, अन्य देशों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिलती हैं।

वानुअतु (Vanuatu) की नागरिकता के लाभ:

- **पासपोर्ट रैंकिंग:** वानुअतु **हेनली पासपोर्ट इंडेक्स** में 51वें स्थान पर है, जो **सऊदी अरब, चीन, भारत और इंडोनेशिया** से आगे है।
- **कर-मुक्त देश:** वानुआतु में **कोई व्यक्तिगत आयकर, पूंजीगत लाभ कर, विरासत कर या संपत्ति कर** नहीं है।
- **आर्थिक स्रोत:** यह देश मुख्य रूप से **ऑफशोर वित्तीय सेवाओं** पर निर्भर है और कर-मुक्त नीति से निवेश आकर्षित करता है।
- **निवेश आकर्षण:** आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद, यह **टैक्स हेवन** का दर्जा बनाए रखकर विदेशी निवेश बढ़ाता है।

आलोचना:

- **अपराधियों को नागरिकता:** कई **अपराधों से जुड़े व्यक्तियों** को नागरिकता देने के मामले सामने आए हैं, जिससे इस योजना के दुरुपयोग की चिंता बढ़ी है।
- **गलत इस्तेमाल का खतरा:** विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना **यूरोप (EU) और यूके तक पहुंच** के लिए एक **गुप्त रास्ता** बन सकती है।
- **मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा:** वानुआतु के **नरम कर कानून** को **अवैध धन शोधन (money laundering)** के संभावित जरिये के रूप में देखा जाता है।

वानुआतु (Vanuatu):

- **स्थान:** वानुआतु **दक्षिणी प्रशांत महासागर** में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, जिसमें लगभग 80 द्वीप शामिल हैं, जो 1,300 **किलोमीटर** तक फैले हुए हैं।
- **प्राकृतिक सौंदर्य:** यहाँ के प्रवाल भित्तियाँ (coral reefs), समुद्री गुफाएँ (underwater caverns) और WWII-युग के जहाजों के अवशेष, जैसे SS President Coolidge, स्कूबा डाइविंग के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **राजधानी और आर्थिक केंद्र:** वानुआतु की राजधानी **पोर्ट विला** द्वीप **एफाते (Efate)** पर स्थित है, जो देश का प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है।
- **संस्कृति और इतिहास:** पोर्ट विला में स्थित **वानुआतु राष्ट्रीय संग्रहालय (Vanuatu National Museum)** देश की **मेलानेशियाई संस्कृति** को दर्शाता है।

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी / ICC Champion trophy

संदर्भ:

ICC Champion trophy 2025: भारत ने फाइनल में **न्यूजीलैंड** को हराकर रिकॉर्ड **तीसरी** बार खिताब जीता।

ICC Champion trophy:

- **परिचय:** आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक प्रतिष्ठित वनडे अंतरराष्ट्रीय नॉकआउट टूर्नामेंट है जिसे **आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद)** द्वारा वर्ष **1998** में शुरू किया गया था। इसे पहले **आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट** के नाम से जाना जाता था।
- **पहला आयोजन:** इस टूर्नामेंट का पहला आयोजन **1998 में बांग्लादेश** में विल्स इंटरनेशनल कप (Wills International Cup) के रूप में हुआ था।
- **नाम में बदलाव:** बाद में इसे **आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट** कहा गया और **2002 से इसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी** के नाम से जाना जाने लगा।
- **शीर्ष आठ टीमें:** वर्ष **2009 से** केवल **शीर्ष आठ टीमों** को इस प्रतियोगिता में शामिल करने का नियम बनाया गया।
- **समापन और पुन: आरंभ:** यह प्रतियोगिता **2017 के आयोजन** के बाद बंद कर दी गई थी। लेकिन **2021 में आ**ईसीसी ने घोषणा की कि **आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान** में और **2029 में भारत** में आयोजित की जाएगी।

ICC Champion trophy: विजेताओं का रिकॉर्ड-

- **भारत का प्रदर्शन:** भारत ने तीन बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है - 2002 (श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता), 2013, और 2025।
- **ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन:** ऑस्ट्रेलिया ने **दो बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है - 2006 और 2009।**
    - अन्य कोई भी देश इतनी बार यह ट्रॉफी नहीं जीत पाया है।
- **इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन:** इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज दोनों ने दो-दो बार फाइनल में जगह बनाई है।
    - वेस्ट इंडीज 2004 में चैंपियन बना।
- **पाकिस्तान का प्रदर्शन:**
    - 2017 में पाकिस्तान ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती।

2025 और 2029 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी:

2025 में पाकिस्तान में आयोजन:

- नवंबर 2021 में घोषणा की गई थी कि **2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी।**
- राजनीतिक तनाव के कारण **भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया।**
- टूर्नामेंट को **हाइब्रिड मॉडल** के तहत आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें भारत के ग्रुप मैच और सेमीफाइनल **दुबई में** खेले गए, और **फाइनल भी दुबई में आयोजित हुआ।**
- **फाइनल में, भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर अपना रिकॉर्ड तीसरा खिताब जीता।** (पहले 2002 और 2013 में जीत चुके हैं)

2029 में भारत में आयोजन:

- नवंबर 2021 में यह भी घोषणा की गई कि **2029 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आयोजित की जाएगी।**
- यह टूर्नामेंट **अक्टूबर और नवंबर 2029 में खेले जाने की उम्मीद है।**

यह जानकारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के भविष्य के आयोजनों और भारत के प्रदर्शन को दर्शाती है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

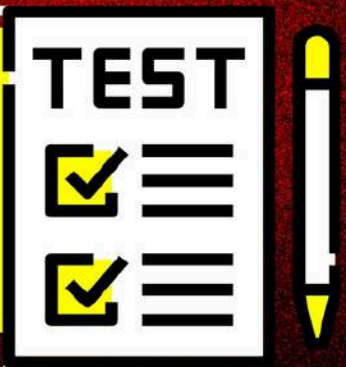

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !